आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः-1705/बी0एफ0टी0/03/05-06

दिनांकः-......... 09-11-17

पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड में स्थित खसरा सं0-772 से 781 मौजा-बसई मुस्तकिल पर निर्मित रेडीसन होटल, सिंसियर डवलपर्स प्रा0लि0 के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र (आवेदक पत्र के भाग अ, ब, स, द) का परीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0-1705/बी0एफ0टी0/03/05-06 व शमन मानचित्र सं0-एनएफटी/वीसी/57/15-16 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 08.11.17 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि होटल एक्ट के सभी प्राविधान लागू रहेंगे तथा संरचनात्मक गुणवत्ता आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

Received by Devesh Kapoor 09/11/17 (DEVESH KAPOOR)

09/11/17
(एन0के0चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विभाग....................................
फाइल संख्या.........................
क्रम संख्या ....

आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

सचिव / उपाध्यक्ष,

कृपया सिन्सियर डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा मौजा बसई मुस्तकिल के खसरा सं0 772 से 781 पर निर्मित होटल रेडिसन भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा फायर सेफ्टी एवं इलैक्ट्रिकल सेफ्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन निरस्त कर दिया गया था। विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.17 एवं विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 27.10.17 प्रस्तुत कर दिया गया है, जो अवलोकनीय है। भवन उपविधि के अनुसार अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न हैं।

अतः पृष्ठ-04 से 05 पर उल्लिखित विभागीय आख्या में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होटल रेडिसन भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विशेष कार्याधिकारी 2/11/17

मुख्य नगर नियोजक 3/11/17

3-11-17
सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

प्रस्तावित प्रमाणपत्र अनुमोदित
8/11/2017
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

~~AE~~ / EE

कृपया उपरोक्त पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दि० 08-11-17 के क्रम में पक्ष को जारी किये जाने वाले पूर्णता प्रमाणपत्र का आलेख तैयार कर दिया गया है। कृ० अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

09.11.17   AE 9.11.17   9/11/17   09/11/17

1567

परिशिष्ट–6

भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

ताजगंज वार्ड, ताजनगरी योजना द्वितीय चरण के भू0सं0 जी0सी0–1 पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण–पत्र का परीक्षण श्री फजल अहमद अवर अभियन्ता, श्री शाहिन खालिद अवर अभियन्ता व श्री आलोक रंजन सहायक अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर ......[signature]......

पदनाम ....

कार्यालय की मुहर ......अधिशासी अभियन्ता (भवन) आगरा विकास प्राधिकरण......

दिनांक ......29-1-2015......

Recd Copy
[signature]
29/01/15

1567/1625

विभाग............................
फाइल संख्या............................
क्रम संख्या ....

आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

अधि0अभि0/मुख्य नगर नियोजक

कृपया ताजनगरी द्वितीय चरण के भू0सं0 जी0सी0–1 पर मै0 गैंगटिव होटल (प्रा0) लि0 को पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति पत्रावली के पृष्ठ संख्या–14 पर दिनांक 06.03.14 को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गयी है जिसमें यह उल्लेखित है कि मै0 गैंगटिव डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा क्रय की गयी अतिरिक्त भूमि का प्राधिकरण से नियमानुसार नामान्तरण कराना होगा। नामान्तरण प्रक्रिया हेतु संयुक्त सचिव कार्यालय द्वारा दिनांक 19.01.15 को पत्रांक 1998/डी/सम्पत्ति विभाग/15 के द्वारा नामान्तरण हेतु वांछित धनराशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया था जो पत्रावली पर दायीं ओर संलग्न है। तद्क्रम में आवेदक द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु रु0 34,430.00 प्राधिकरण कोष में दिनांक 20.01.15 चालान संख्या–6 के द्वारा जमा करा दिया गया है जो पत्रावली पर दायीं ओर संलग्न है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.03.14 के क्रम में पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति हेतु पत्रावली अग्रसारित है।

24/1/15

अधिशासी अभियंता,
आगरा ....रण।

27/1/2015
CTP

Chief Town Planner
Agra Development Authority
Agra

EE
कृपया उपरोक्त पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति के क्रम में पत्रावली प्रस्तुत करें

29.1.15

29/1/15

परिशिष्ट-6

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

मानचित्र सं० - 697/BFCH/8/10 दि० 16-9-2011

पूर्णता प्रमाण–पत्र

छत्ता वार्ड में स्थित खसरा सं0–814 से 818 मौजा छलेसर कानपुर रोड पर निर्मित रिटेल, होलसेल, वेयर हाउस/डेली नीड्स शॉप के सम्बन्ध में लिये गये प्रमाण पत्र (आवेदक पत्र के भाग अ, ब, स, द) का परीक्षण नगर नियोजक/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.6.11 को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15–क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि यदि भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई नियम/शर्तें आरोपित की जाती है तो उसका अनुपालन सुनिश्चित् करना होगा।

उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा
o/c

20-9-11

T.P. notting

(697)

विभाग..........
फाइल संख्या..................
क्रम संख्या....................

- 17 -

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

विवरण व आदेश

सहायक अभियन्ता/ नगर नियोजक/ प्रभारी नियोजन/सचिव/उपाध्यक्ष,

कृपया श्रीमती नमिता अग्रवाल द्वारा खसरा सं0-814, से 818 मौजा छलेसर मे प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति सं0-697/बी0एफ0सी0एच0/08/10-11 के अन्तर्गत वेयर हाउसिंग एवं डेली नीड्स शॉप के निर्माण की अनुमति प्राप्त की गयी थी। आवेदिका द्वारा दाहिनी ओर निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र 'ब' पर परिशिष्ट संलग्न पत्र दिनांक 06.08.11 के अनुसार निर्माण के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया है। स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर उनके द्वारा वेयर हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण कार्य प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया गया है। प्राधिकरण से स्वीकृति शर्त के अनुरूप बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

1. आवेदिका द्वारा ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात वस्तुओं के भण्डारण न करने सम्बन्धी शपथ पत्र पताका 'क' में संलग्न है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया गया है। प्रमाणपत्र संलग्न है।
2. स्ट्रक्चर एवं भूकम्परोधी प्रमाण पत्र पताका 'ख' निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है।
3. नगर निगम एवं टोरन्ट पावर की एन0ओ0सी0 प्राप्त हो चुकी है। एन0एच0ए0आई0 की एन0ओ0सी0 अभी प्राप्त नही हुई हैं। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा विभागीय प्रक्रिया में देरी की वजह से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत नही की जा सकी है। एन0ओ0सी0 शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है। एन0एच0ए0आई0 की एन0ओ0सी0 आवेदिका तीन माह के अन्दर प्रस्तुत कर देंगी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0ओ0सी0 में जो भी नियम/शर्ते लागू की जायेगीं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी अधीक्षण अभियन्ता (एन0एच0ए0आई0) द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न है जिसके अनुसार कन्ट्रोल लाइन राज मार्ग के मध्य से 75 मी0 दूरी पर होनी चाहिए। परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा द्वारा रीजनल आफीसर एन0एच0ए0आई0 लखनऊ को प्रेषित पत्र में प्रश्नागत स्थल का रोड सैक्शन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार रोड के केन्द्र से कन्ट्रोल लाइन 75 मी0 दूरी पर है, जबकि वर्तमान में निर्मित भवन 92.53 मी0 पर स्थित है। सम्मुख पताका 'ग' पर संलग्न आई0आर0सी0 विनियमों के अनुसार भी कन्ट्रोल लाइन सड़क के मध्य से 75 मी0 पर होना वांछित है। लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0-1061/23.02.11 में उल्लिखत है कि जो क्षेत्र प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र में आते है तथा जहाँ महायोजना लागू है वहाँ उक्त नियम लागू नही होता है चूंकि आगरा में आगरा महायोजना 2021 लागू है तथा प्रश्नगत भूखण्ड के सम्मुख 60 मी0 चौड़ा महायोजना मार्ग है जिसके दृष्टिगत मानचित्र सड़क के मध्य से 30मी0 की दूरी पर स्वीकृत किया गया है तथा स्वीकृति के अनुसार ही स्थल पर भी 30 मी0 के पश्चात् बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है।
4. विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन आदि का प्रमाण पत्र संलग्न है। अग्निशमन हेतु वंछित शपथ पत्र भी संलग्न है।

आवेदिका द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य किया है। अतः आवेदिका को उक्त निर्माण हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की अनुसंशा इस शर्त के साथ की जाती है यदि भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा द्वारा किसी प्रकार की शर्त आरोपित की जाती है तो पक्ष द्वारा उसका पालन करना होगा। भवन उपविधि के अनुसार सशर्त पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर जारी किये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

14/9/11
अवर अभियन्ता

Gautam 15/09/11 TP.

AE 15/9/11

16/9/11 स0नि0

16/9/11

16.9.11
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

अधि० अभियन्ता

कृ० दाहिनी ओर संलग्न अधिकृत प्रतिनिधि मालगाड़ी इण्डिया प्रा० लि० के प्रार्थना पत्र दि० 21 जुलाई - 17 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें खसरा नं. 814/2, 815, 816, 817/2 मौजा हलेसरा तहसील एत्मादपुर जिला आगरा पर निर्मित भवन की पार्किंग में सोलर पैनल की स्थापना हेतु अनुमति चाही गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल पर मानचित्र श्रीमती नमिता अग्रवाल द्वारा स्वीकृत कराया गया है। नियमानुसार भूस्वामी ही किसी प्रकार की निर्माण की अनुमति प्राप्त करने का अधिकारी है। भूस्वामी की ओर से अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर ही नियमानुसार अनुमति पर विचार किया जा सकता है। उपरोक्त तथ्य से आवेदक को सूचित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

27/7/17
JE

HClan
27/7/17

B.C.

AE | EE

कृपया उपरोक्तानुसार आवेदक को सूचित करने हेतु संलग्न पत्रालेख तैयार कर दिया गया है। कृ० अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

27/7/17

27/7/17
OB

HClan
31/07/17